बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0 / BSPTCL–03 / 2018 पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 के अंतर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 7 (सात) नये ग्रिड सब–स्टेशन के निर्माण एवं सारण जिला के एकमा अवस्थित 132 / 33 KV GSS का विस्तारीकरण एवं संबंधित 220 KV के 612.20 CKM (अनुमानित) एवं 132 KV के 728 CKM (अनुमानित) संचरण लाइन एवं **monopole/narrow tower** के माध्यम से विभिन्न 220 एवं 132 KV संचरण लाइनों के निर्माण हेतु कुल 2149.35 करोड़ (दो हजार एक सौ उन्चास करोड़ पैंतीस लाख) रूपये का 20% अर्थात 429.87 करोड़ (चार सौ उनतीस करोड़ सतासी लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप तथा शेष 80% अर्थात् 1719.48 करोड़ (सत्रह सौ उन्नीस करोड़ अड़तालीस लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019–20 में 15.00 करोड़ (पंद्रह करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या–2028 दिनांक–24.07.2018 के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 के अंतर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 7 (सात) नये ग्रिड सब–स्टेशन के निर्माण एवं सारण जिला के एकमा अवस्थित 132 / 33 KV GSS का विस्तारीकरण एवं संबंधित 220 KV के 612.20 CKM (अनुमानित) एवं 132 KV के 728 CKM (अनुमानित) संचरण लाइन एवं **monopole/narrow tower** के माध्यम से विभिन्न 220 एवं 132 KV संचरण लाइनों के निर्माण हेतु कुल 2149.35 करोड़ (दो हजार एक सौ उन्चास करोड़ पैंतीस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एव उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात 429.87 करोड़ (चार सौ उनतीस करोड़ सतासी लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप तथा शेष 80% अर्थात् 1719.48 करोड़ (सत्रह सौ उन्नीस करोड़ अड़तालीस लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 50.00 करोड़ (पचास करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान किया गया है। पूर्व में उपलब्ध करायी गई राशि 50.00 करोड़ (पचास करोड़) रूपये के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019–20 में 15.00 करोड़ (पंद्रह करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 के द्वारा मांग की गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. उक्त आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 के अंतर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 7 (सात) नये ग्रिड सब–स्टेशन के निर्माण एवं सारण जिला के एकमा अवस्थित 132 / 33 KV GSS का विस्तारीकरण एवं संबंधित 220 KV के 612.20 CKM (अनुमानित) एवं 132 KV के 728 CKM (अनुमानित) संचरण लाइन एवं **monopole/narrow tower** के माध्यम से विभिन्न 220 एवं 132 KV संचरण लाइनों के निर्माण हेतु कुल 2149.35 करोड़ (दो हजार एक सौ उन्चास करोड़ पैंतीस लाख) रूपये का 20% अर्थात 429.87 करोड़ (चार सौ उनतीस करोड़ सतासी लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप तथा शेष 80% अर्थात् 1719.48 करोड़ (सत्रह सौ उन्नीस करोड़ अड़तालीस लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019–20 में 15.00 करोड़ (पंद्रह करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि माँग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0101–बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801057890101 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0044–बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि०, व्यय शीर्ष–L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200044 में जमा की जाएगी।

5. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL–03/2018 के पृष्ठ संख्या–11/टि0 पर दिनांक–11.07.2018 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL–03/2018 पृष्ठ संख्या–20/टि0 पर दिनांक–09.05.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPTCL–03/2018 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPTCL–03/2018 1166 /पटना, दिनांक– 17/05/19

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।